कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 81 / 2023

श्री विवेक सिंह पुत्र श्री विजयप्रताप सिंह, निवासी 1 के, 30 कृष्णा नगर भरतपुर

......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, नियत्रंक, नागरिक सुरक्षा भरतपुर जिला भरतपुर

...रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 9.01.2024**

अपीलार्थी श्री विवेक सिंह पुत्र श्री विजयप्रताप सिंह, निवासी 1 के, 30 कृष्णा नगर भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार का अधिनियम के तहत इस आश्य की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 04—10—2023 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, नियत्रंक, नागरिक सुरक्षा भरतपुर जिला भरतपुर से सूचना चाही थी। लोक सूचना अधिकारी, नियत्रंक, नागरिक सुरक्षा भरतपुर जिला भरतपुर द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नही कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 796 दिनांक 15.412.2023 के द्वारा अपील की प्रति भेजते हुये लोक सूचना अधिकारी, नियत्रंक, नागरिक सुरक्षा भरतपुर जिला भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, नियत्रंक, नागरिक सुरक्षा भरतपुर जिला भरतपुर से जबाब पत्र क्रमांक नासु/भरत/आटीआई/2023/01—02 दिनांक 01.01. 2024 प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी का अपील में कथन है कि उसे आधी अधूरी एवं गुमराह करने की कुछ बिन्दुओं की सूचना दी गई हैं। सूचना निशुल्क उपलब्ध कराई जाने की प्रार्थना की गई है। अपीलार्थी के आर.टी.आई. प्रार्थना पत्र दिनांक 04—10—2023 का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अपीलार्थी का यह प्रार्थना पत्र प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट,भरतपुर के पत्र कमांक/सामान्य/आरटीआई/149/23/9422

........2

दिनांक 12.10.2023 के द्वारा आर.टी.आई. एक्ट की धारा 6(3) के तहत अन्तरित होकर नागरकि सुरक्षा कार्यालय में प्राप्त हुआ है। प्रार्थी अपीलार्थी ने अपने आरटीआई प्रार्थना पत्र में 11 बिन्दु पर सूचना चाही गई है। लोक सूचना अधिकारी उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा भरतपुर द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को जरिये पत्र क्रमांक/नासु/भरत/आटीआई/2023/1946 दिनांक 10–11–2023 से सूचना प्रेषित की गई है का अवलोकन किया गया, लोक सूचना अधिकारी ने बिन्दू संख्या 1,2,5 व 6 की सूचना उपलब्ध कराया जाना अंकित है, जहाँ तक बिन्दू संख्या 3,4, व 7 लगायत 11 की सूचना का है इस सम्बन्ध मे 2/– प्रति पेज के हिसाव से शुल्क जमा करा कर सूचना प्राप्त करने के लिये प्रार्थी को सूचित किया गया है। लोक सूचना अधिकारी ने प्रार्थी को निर्धारित समय सीमा में शुल्क जमा कराकर सूचना प्राप्त करने के लिये उक्त पत्र में लिखा गया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी सूचना निशुल्क पाने का हकदार नहीं रहता है। प्रार्थी को चाहिये था कि वे नियमानुसार सूचना शुल्क जमा करा कर शेष विन्दूओं की सूचना प्राप्त करते। प्रार्थी/अपीलार्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे नियमानुसार सूचना शुल्क जमा कराकर लोक सूचना अधिकारी से सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

अतः उक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भेजी जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी उप नियंत्रक नागरकि सुरक्षा भरतपुर को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग,जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर,
भरतपुर